झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 17 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती जितनी देवी एवं अन्य,
पं०-लोहड़ा, थाना -पड़वा,
जिला - पलामू ।

DISPOSED
19/04/2023

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, पलामू ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–17/2023 परिवादी श्रीमती जितनी देवी एवं अन्य, पं0–लोहड़ा, थाना–पड़वा, जिला–पलामू का परिवाद–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा PDS वितरक सुमन महिला स्वयं सहायता समूह, बनखेता के विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये है:– 1. कार्डधारियों को सही मात्रा एवं सही मूल्य पर राशन नहीं देने। 2. राशन की माँग करने पर गाली–गलौज एवं अभद्र व्यवहार करने परिवादी द्वारा आयोग से जांच करते हुए हुए कानूनी कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है। प्राप्त परिवाद–पत्र को गंभीरता से लेते हए इस मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवादी बनाते हुए इस पर आयोग स्तर पर सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–19.04.2023 को निर्धारित की जाती है। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को भेजते हुए उक्त निर्धारित तिथि को ससमय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभयपक्ष को नोटिस भेजें। दिनांक–19.04.2023 को अपराहन 12:00 बजे रखें। 22.3.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 22/03/2023 (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx22

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–17 / 2023	
19.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू का कहना है कि परिवादी के शिकायत की जाँच के बाद सम्बन्धित डीलर का लाईसेंस को निलंबित कर दिया गया है एवं आगे की जांच जारी है। सुनवाई के दौरान परिवादियों द्वारा PDS दुकान का अनुज्ञप्ति रद्द करने की बात कही गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी PDS अनुज्ञप्ति के मामले में सक्षम प्राधिकार है, वे गुण दोष के आधार पर निर्णय लेंगे, आयोग अपने स्तर से इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दे रहा है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि परिवाद पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में यथोचित कार्रवाई शीघ्र करें, मात्र PDS दुकान निलम्बन समाधान नहीं हो सकता है। अंत में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर न्यायसंगत निर्णय लें एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत करायें। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx57	